प्रेस नोट
दिनांक -11.12.2024

प्रान्तीय रक्षक दल (पीआरडी) के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा नेहरू स्टेडियम पहुंचकर परेड की ली गयी सलामी,

परेड का निरीक्षण कर स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए देते हुए उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का कराया गया पुनः स्मरण, अच्छे कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित-

आज दिनांक 11.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) के 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर जवाहर लाल नेहरू स्पोर्ट स्टेडियम पहुँचकर परेड की सलामी ली गयी। तत्पश्चात् अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी महोदय द्वारा जिला युवा कल्याण अधिकारी गोण्डा श्री राजित राम की उपस्थिती में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पी0आर0डी0 के जवानों द्वारा आयोजित परेड का निरीक्षण किया गया तथा जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए देते हुए उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का स्मरण कराया गया। निरीक्षण के पश्चात् महोदय द्वारा शारीरीक दक्षता, एकरूपता व अनुशासन को परखने हेतु परेड को टोलीवार विभिन्न प्रकार के ड्रील कराया गया । तत्पश्चात् कार्यक्रम के दौरान पीआरडी के जवानों में 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़ के अलावा रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । अच्छा प्रदर्शन करने वाले पीआरडी जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात् जिला युवा कल्याण अधिकारी गोण्डा श्री राजित राम द्वारा महोदय को स्मृति पत्र देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया । महोदय द्वारा पीआरडी के जवानों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि अनुशासन में रहकर पीआरडी के जवानों को आगे बढ़ना है। आने वाले दिनों में पीआरडी का महत्व और बढ़ेगा। इसलिए हर चुनौती के लिए तैयार रहने की जरूरत है। पीआरडी जवानों की वर्दी वाली फोर्स है। इसलिए सभी को अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना है। समाज हो या फोर्स अनुशासन में रहने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 11.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल व थानों पर गठित साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा स्कूल/कालेजों में जाकर छात्र/छात्राओं व स्टाफ को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 11.12.2024 को जनपदीय साइबर सेल व थानों पर गठित साइबर हेल्पडेस्क द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जाकर गाँव/मोहल्लो में आमजनमानस को व स्कूल में छात्र-छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जागरूकता के दौरान साइबर जागरूकता टीम द्वारा सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में सभी से आग्रह किया गया की दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित कालेज के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।

06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.12.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 04 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रू0 5,500/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी बजरंगी पुत्र जगराम तेली निवासी सकरौरा रानीगंज बाजार लोहारनपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 15.10.2020 को थाना परसपुर को सूचना दिया कि पैसे की लेन-देन को के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा गाली गलौज देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मेडिकल रिपोर्ट आधार पर अभियोग में धारा 308 भादवि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 उमेश कुमार वर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनाकं 17.01.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह , कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वन्दना व थाना परसपुर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 11.12.2024 को दोषी अभियुक्तों को 04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 5,500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. सुर्यलाल तेली पुत्र रामपाल तेली निवासी सकरौरा रानीगंज लोहारनपुरवा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. सुनील तेली पुत्र सूर्यलाल निवासी सकरौरा रानीगंज लोहारनपुरवा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 312/2020, धारा 308, 323, 504 भादवि थाना परसपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।